

निष्पक्षित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

आदेश फलक

धारा-144 द0प्र0सं0

वाद संख्या 61/2020

इंद्रचंद्र चन्द्र मधारी

बनाम्

पद्मेचन्द्र मधारी

10-07-2020 चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 28-07-2020 के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि 08-08-2020

पद्मेचन्द्र मधारी (पुष्पान चन्द्र मधारी) (पुष्पान चन्द्र मधारी) (पुष्पान चन्द्र मधारी) 17-08-2020

पद्मेचन्द्र मधारी (पुष्पान चन्द्र मधारी) 28-08-2020

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शांति भंग 02-09-2020

होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण 09-09-2020

रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द.प्र.सं. की धारा-144 का कठोर कार्रवाई

आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध

करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 20-09-20 तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
Kolchakda	67	88	386	0.05de	पूर्व0 W- Jagganath Pradhan पश्चिमी S- Niji उत्तर E- Plot no 388 दक्षिण W- Road.

10/09/20
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
पोड़ाहाट चक्रधरपुर

09-09-2020. डा. विवेक अग्रवाल / स्वयं सेवक के लिये अनुमति /
वाक की कार्यवाही पूर्ण हो गई है, वाक की कार्यवाही समाप्त
की जाती है।


9/9/20